एमिटी लॉ स्कूल

एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा

द्वितीय एमिटी राष्ट्रीय हिन्दी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2018

दिनांक 14, 15, 16 मार्च 2018

Amity Law School, Noida, U.P.
Tel. +91(0)-120-4392807
Email Id: studentbarforum@gmail.com

मूट कोर्ट नियमावली

1. एमिटी लॉ स्कूल एक हिन्दी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 2018 का आयोजन कर रहा है ताकि विद्यार्थी कानून तथा राष्ट्रीय कानून के अभ्यास के प्रति पीरचित हो सकें।

2. तिथि एवं स्थान–

प्रतियोगिता दिनांक – 14, 15, 16 मार्च 2018

स्थान – एमिटी लॉ स्कूल नोएडा सेक्टर–125, नोएडा उत्तर प्रदेश से सम्पन्न होगी।

3. परिधान / पोशाक

सामान्य पहनावा / पोशाक

स्त्री – गहरे रंग का शलवार अथवा पैजामा, सफेद कुर्ता अविा शर्ट / सूट काले रंग।

पुरूष – गहरे रंग को पैंट के साथ सफेद शर्ट एवं टाई अथवा काले रंग का सूट।

4. भाषा – प्रतियोगिता का संचालन हिन्दी भाषा में किया जोएगाा।

5. योग्यता–

भारत के किसी भी विधि स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में वर्तमान में तीन वर्षीय एल एल बी अथवा एल एल एम डिग्री के लिए पंजीकृत हो, इस प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य होगें।

कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान/कॉलेज/ महाविद्यालय इस प्रतियोगिता हेतु मात्र एक दल को भेजने के हकदार होगें।

6. दल संरचना –

प्रत्येक दल में अधिकतम तीन सदस्य होगें, जिसमें दो वक्ता एवं शोधकर्ता होगा। दल द्वारा पंजीकरण के समय अपने वक्ताओं एवं शोधकर्ताओ की पहचान करना आवश्सयक है। प्रतियोतिता के पहले अथवा प्रतियोगिता के दौरान दल अपने–अपने संस्थान, व्यक्तिगत तथा शहर का पहचान का खुलसा नही करेगें।

आयोजनकर्ताओं कां यह अधिकार होगा कि खुलासा करने वाले प्रतियोगिओं को दण्ड के साथ–साथ अयोग्य घेषित कर सकते हैं।

कोई भी अतिरिक्त सदस्य अथवा किसी दल का कोई गाईड एमिटी लॉ स्कूल से प्रमाण पत्र हेतु हकदार नहीं होगा।

7. राउन्ड

(क) उदघाटन समारोह एवं ड्रा ऑफ लॉट्स दिनांक 14 मार्च 2018

(ख) दो प्रारंम्भिक दौर होगें।

(ग) सर्वोच्च आठ दल क्वार्टर के लिए क्वाली फाई करेगें जो दिनांक 15 मार्च 2018 को होगा

(घ) प्रारम्भिक को दौर में क्वालीफाई करने वाले क्वार्टर फाईनल हेतु योग्य होगें ।

(ड0) सर्वोच्च चार दल संमी फाईनल हेतु योग्य होगें।

(च) सर्वोच्च दो सफल दल फाईनल हेतु योग्य होगें।

8. **क्वाटर फाईनल, सेमी फाईनल एवं फाईनल दौर।**

क्वाटर फाईनल, एवं सेमीफाईनल में सफल होने वाला नॉक आउट दौर के लिए मौखिक तथा मेमोरियल के आधार पर मूल्यांकित किये जायेगें।

क्वार्टर फाईनल, संमी फाईनल एवं फाईनल के स्थान का निर्धारण ड्रॅा ऑफ लॉट्स से किया जायेगा

फाईनल दिनांक 16 मार्च 2018 को आयोजित किया जायेगा।

9. **मेमोरियल–**

मेमोरियल हेतु निम्नलिखित जरूरतों को दृढता पूर्वक परालन आवश्यक होगा–

(क) प्रत्येक दल को प्रत्येक केस के आवेदक एवं प्रतिवादी हेतु एक मेमोरियल बनाना होगा।

(ख) प्रत्येक दल को अपने मेमोरियल हेतु एक सॉफ्ट कॉपी एक हार्ड कॉपी प्रत्येक के लिए studentbarforum@gmail.com को अथवा डाक द्वारा 04 मार्च 2018 तक एमिटी लॉ स्कूल सेक्टर–125, नोएडा उ0 प्र0 को घोषित किया जायेगा ।

(ग) एक बार मेमोरियल जमा करने के पश्चात उसमें कोई बदलाव, पूरक एवं अतिरिक्त मान्य नही होगा

(घ) प्रत्येक केस के लिए वादी एवं प्रतिवादी के लिए पॉच मेमोरियल अयोजक के समक्ष पंजीकरण एवं ड्रा ऑफ लॉटस के समय जमा किया जायेगा।

(ड.) मेमोरियल अच्छी तरह से बंधा हुआ अथवा स्पायरल बाइंडिग अथवा किसी भी प्रकार से अच्छी तरह संचयुक्त होना चाहिए। उस हेतु प्लास्टिक का प्रयोग वांछित नही हो।

(च) मेमोयिल प्रस्तुति की विधि –

(प) मुख्य पृष्ठ

(पप) टाइब्ल पृष्ठ

(पपप) विषय सूची

(पअ) संक्षेप शब्दोकी सूची

(अ) प्रधिकारी की सूची

(अप) तथ्य विलेख

(अपप) क्षेत्राधिकार का कथन

(अपपप) मुददा

(पग) वर्को का सार

(ग) लिखित तर्क

(गप) प्रार्थना/निवेदन

(गपप) पिछला पृष्ठ

(गपपप) दलों से अनुरोध है कि अपने मेमोरियल को पी0डी0एफ0 प्रारूप में जमा करें

10. <u>मुख्य पृष्ठ की विधि</u>

(प) टीम संख्या

(पप) ट्रादा (वादी एवं प्रतिवादी)

(पपप) प्रतियोगिता का टाइटल

(पअ)मुकदमा का टाइटल

(अ) मुख्य पृष्ठ की रंग की विधि

(क) वादी – लाल

(ख) प्रतिवादी–ब्लू

(अप) मेमोरियल से निर्देशित चीजें वर्णित हैं–

(क) सदस्यों के नाम

(ख) सदस्यों के कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के नाम

13. **मेमो रियल की पृष्ठ 15 पेज से अधिक नहीं होगी एवं 6000 शब्दों से अधिक नहीं होगी**

14- <u>मेमोरियल की गणना -</u>

(प) गणना का कुल अंक 100

मेमोरियल की गणना उसके प्रारूप, संगठन, संरक्षण, व्ययों का इस्तेमाल, व्ययों का गठन, विधि का इस्तेमाल, संक्षेप शब्दों का इस्तेमाल एवं शोध पे की जायेगी।

15- <u>मौखिक प्रक्रिया (प्रिलिमिनरी, क्वाटर फाइनल, सेमी फाइनल एवं फाइनल प्रक्रिया)</u>

(प) हर मौखिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन शोधकर्ताओं को अपने अपने वक्ताओं के साथ

(पप) मौखिक प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागी एवं प्रेक्षक के बीच बातचीत वर्जित है।

(पपप) मौखिक प्रक्रिया के दौरान लैपटाॅप, मोबाइल, एवं टैब का इस्तेमाल वर्जित है।

(पअ) मौखिक प्रक्रिया का समय

(प) प्रिलिमिनरी प्रक्रिया-30 मिनट (प्रत्येक वक्ता 15 मिनट)

(पप) क्वाटर फाइनल प्रक्रिया - (35 मिनट)

(पपप) सेमी फाइनल एवं फाइनल प्रक्रिया- 40 मिनट

16- वक्ताओं की गणना:

(प) वक्ताओं के लिए कुल अंक-100

17- शोधकर्ताओं की गणना-

शोधकर्ताओं को अलग से आबजेक्टिव परीक्षा होगी जिसमें सभी शोधकर्ताओं को बैठना अनिवार्य है।

18- पुरस्कार का विलेख-

निम्नलिखित पुरस्कार फाइनल प्रक्रिया के बाद वितरण की जाएगी।

(प) विजेता

(पप) प्रथम उपविजेता

(पपप) द्वितीय उपविजेता

(पअ) सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता

(अ) द्वितीय मर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता

(अप) सर्वश्रेष्ठ मेमोरियल

(अपप)सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता

19- <u>शिकायत करने की विधि:</u>

(प) अगर टीम को ऐसा अनुभव होता है कि उनके साथ नियमों का पालन नहीं हुआ है तो उनमे अनुरोध है कि वे श्रीमान् तुषार वेद सक्सेना को लिखित रूप से एवं मौखिक रूप से करें।

(पप) न्यायालय के अधिकारियों के गैर मौजूदगी में वह अपने शिकायत पत्र को प्रशासन में जमा कर सकते है किन्तु शिकायत पत्र को सीधे माननीय न्यायाधीशों के सामने जमा करना सख्त मना है।

(पपप) मानननीय न्यायधीशों का फैसला अंतिम फैसला माना जायेगा।

20- स्टूडेन्टस बार फोरम इन सभी नियमों को बदलने के लिए एवं किसी के हित के लिए इन सभी नियमों में बदलाव लाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है।

21- सभी प्ररतिभागियो को यह भी सूचित किया जाता हैं की अगर ऐसी परिस्थिति आए जब किसी 2 दलों के अंक सामान हैं तब उस परिस्थिति में एक निर्णायक दौर का आयोजन होगा जिसमे जजों द्वारा सवाल जवाब का दौर होगा जिसमे जजों का फ़ैसला निर्णायक होगा ।

22- सभी प्रतिभागियों को यह भी सूचित किया जाता हैं की प्रेलीम, क्वॉटर एवं सेमी फाइनल में जजों की सांख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं परंतु इससे प्रतिभागियों के अंक में कोई बदलाव नही आएगा जो उनके हित के विरोध हो। सभी प्रतिभागियों का हित हुमारा परम उदेश्या हैं